अवर न्यायाधीश
सोनपुर, सारण।

बंटवारा वाद सं0– 214 सन् 2018

मनोज कुमार साह व अन्य.....वादीगण।
बनाम
लक्ष्मी नारायण प्र0 गुप्ता व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांकः– 18.09.2020

वादी की ओर से हाजिरी है। प्रतिवादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख दिनांक– 03.01.2020 को वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आदेश

वादीगण का संशोधन आवेदन में कथन है कि टंकक की गलती से अर्जीदावी में कुछ बातें गलत टंकित हो गई है। जो मुकदमा दाखिल करने के समय सुधार नहीं हो सका। जिसे मरम्मत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित मरम्मती औपचारिक है, जिससे मुकदमे की स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित तथ्यों को संशोधित कर दिया जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपर्युक्त संशोधन आवेदन का प्रति उत्तर दिनांक–13.02.2020 को दाखिल किया गया। प्रतिवादीगण का कथन है कि जिन तथ्यों के साथ संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। वह कानूनन पोषणीय नहीं है। संशोधन आवेदन मंजूर होने से प्रतिवादीगण को अपार क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस बंटवारा वाद में अभी वाद बिन्दु का गठन नहीं हुआ है। अभी वाद प्रारंभिक चरण में है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन का स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक–03.01.2020 को न्यायाहित में 500/– रूपये खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादीगण को प्रदान कर दिनांक–09.10.2020 तक वादपत्र में संशोधन कर लें।

सब जज
सोनपुर, सारण।